



**JALAUN POLICE**

**“Operation Conviction”**

**दिनांक 22.06.2026**

"ऑपरेशन कन्विकशन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन व कोतवाली कोंच पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त 1. जाकिर पुत्र मुन्ना कुरैशी निवासी आराजी लेन कस्बा व थाना कोंच जनपद जालौन द्वारा 17 अदद गौवंश काटने के लिये बूचड खाना ले जाने तथा गौवंश के साथ निर्दयता का व्यवहार करने के संबन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर कोतवाली कोंच पर मु0अ0सं0 354/2004 धारा 5/8 गो0वध0नि0अधि0 व 3/11(घ) पशु क्रूरता निवा0अधि0 में पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि एवं 5050/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं कोतवाली कोंच पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा0 न्यायालय जे0एम0 कोर्ट कोंच जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त जाकिर उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में वितायी गयी अवधि एवं 5050/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



एपीओ  
नन्दिनी गुप्ता



प्र0नि0 मॉनिटरिंग सेल  
श्री परमहंस तिवारी



हे0का0 अमित सिंह  
कोर्ट मुहर्रि



का0 अनमोल  
कोर्ट पैरोकार